

District Registry Office, Aurangabad

http://192.168.39.171/Admin/NECCCertificate.aspx?DocNo=0

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 1155

RTPS No
0301193410022011

चूंकि श्री M/S TECHNOCULTURE BUILDING CENTRE PVT LTD ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संकेत में निबधित संव्यवहारों और अवधारों का विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।
एवद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में उल्लिखित सम्पत्तियों को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में बही 1 में उल्लिखित संबंधित अनुक्रमणियों में ताला 01/01/1993 से ताला 10/09/2022 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के माध्यम से निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता चला है-

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौजा/वार्ड नं०	खाला	खेसरा	रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ठ सं०	पृष्ठ सं०	पृष्ठ सं०
1	DISTRICT SUB REGISTRY OFFICE, AURANGABAD	AURANGABAD	RAMPUR, THANA NO-270	3	1241	25.5 DEC	SALE DEED.NO-3081	0	44	196	203	25

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त संव्यवहार और अवधारों को छोड़कर, उक्त सम्पत्तियों को प्रमाणित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।
निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया -

नाम - Sandeep Kumar Sinha
Computer Operator

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जांच निम्नलिखित व्यक्ति ने की

नाम - Lalit Paswan
Head Clerk

कार्यालय -

District Registry Office, Aurangabad



तारीख - 16/09/2022

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी-

- इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रांजेक्स्ट) प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
- निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियों देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रलेखन चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।
- किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरतक साक्ष्यानी से की है। प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किन्ती मूल के लिए किन्ती भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
- और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा दूँडे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों के लिए किन्ती भी कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक - 1080 दिनांक - 16/09/2022

शाखा प्रबंधक P.N.B RAM AURANGABAD के पत्र दिनांक 15/09/2022 के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

Handwritten signature of the District Registrar.

District Registry Office, Aurangabad

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 924

RTPS No.:-
030119341002200919

चूंकि श्री M/S TECHNOCULTURE BUILDING SRI SAI COMPLEX PRATHAM TALLA PVT LTD VASTU BIHAR ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबन्धित संव्यवहारों और अवमारों का विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय। एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवमारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता० 01/01/1993 से ता० 31/08/2022 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवमारों का पता चला है-

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौजा/वार्ड नं०	खाता खेसरा	रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ठ सं	पृष्ठ तक	वर्ष
1	DISTRICT SUB REGISTRY OFFICE, AURANGABAD	AURANGABAD	RAMPUR, THANA NO-270	3	1243,1242	18.705 DEC	0				

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवमारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :-

नाम - Sandeep Kumar Sinha
Computer Operator

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की

नाम - Lalit Paswan
Head Clerk

कार्यालय - District Registry Office, Aurangabad



01/09/2022

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी-

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवमार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्सन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
2. निबन्धन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवमारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।
3. किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
4. और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवमारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक:- 849 दिनांक:- 01/09/2022

शाखा प्रबंधक PUNJAB NATIONAL BANK, AURANGABA के पत्र दिनांक 01/09/2022 के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर